

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना ।
उप श्रमायुक्त, दरभंगा/ भागलपुर ।

पटना, दिनांक- 6-3-19

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0001-श्रमायुक्त (विपत्र कोड-26-2230010010001)के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	01-वेतन				13 कार्यालयी व्यय		योग-26-2230.01.001.0001-श्रमायुक्त
		0001.01.01 वेतन	0001.01.03 जीवन् यापन भत्ता	0001.01.04 मकान किराया भत्ता	योग-26-2 230.01.001.0001.01-वेतन	0001.13.03 दूरभाष	0001.13.04 विद्युत प्रभार	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना	70000	50000	43000	163000	-	-	163000
2	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	-	-	-	0	1500	-	1500
3	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	-	-	-	0	-	7000	7000
	कुल योग	70000	50000	43000	163000	1500	7000	171500

कुल आवंटित राशि ₹ 1,71,500/- (₹ एक लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक- 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
- लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1126/लोक दिनांक-1.2.19 के आलोक में ए. सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. से संबंधित मामलों में वित्त विभाग का परामर्श लिया जाना अभी शेष है, इस कारण से उक्त प्रकार के किसी भी बकाया राशि की निकासी प्रेषित आवंटन से नहीं किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

16/02/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।


ज्ञापांक-6/बी3-103/18 श्र.सं.

160

पटना, दिनांक

6-3-19

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-103/18 श्र.सं.


160

पटना, दिनांक

6-3-19

* स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/ अनुलग्नक सहित आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।